दिनांक–24.01.2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. शेखपुरा जिलान्तर्गत वल्क मिल्क कूलर की स्थापना हेतु अंचल मौजा–चेवाड़ा, थाना नं०–305, खाता नं०–362, खेसरा नं०–4503, रकवा–0.15 एकड़ गैर मजरूआ आम परती कदीम भूमि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (गव्य विकास), बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2. रोहतास जिलान्तर्गत संझौली अंचल के मौजा–संझौली थाना नं०–259, खाता नं०–818 के खेसरा सं०–2837 एवं 2847 रकबा क्रमशः 1.65 एकड़ एवं 1.42 एकड़ कुल रकबा–3.07 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पिण्ड भूमि प्रखंड सह अंचल कार्यालय, संझौली के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3 पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–अमहारा थाना सं०–44, खाता सं०–664, खेसरा सं०–1149, 1150 एवं 1152, रकबा–0.76 एकड़, खाता सं०–478, खेसरा सं०–43, रकबा–2.76 एकड़, खाता सं०–215, खेसरा सं०–28, रकबा–0.15, खाता सं०–1359, खेसरा सं०–166, रकबा–0.09, खाता संख्या–858, खेसरा सं०–12, रकबा–0.03 तथा खाता सं०–160, खेसरा सं०–430, रकबा–0.26 और खेसरा सं०–458, रकबा–0. 15 एकड़ अर्थात कुल रकबा–4.20 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को इस शर्त्त पर निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार/अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4	पटना जिला के बिहटा अंचल अर्न्तगत मौजा–राघोपुर, थाना सं०–45, खाता सं०–125, खेसरा सं०–68 कुल रकबा–0.06 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को इस शर्त्त पर निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार/अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।	स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5.	बिहार राज्य जल पर्षद्, पटना को गैर योजना मद से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1500.00 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र की सहायक अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।

विधि विभाग

6.	राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को ड्राईंग रूम के सुसज्जन हेतु सुसज्जन व्यय के रूप में माँग की निधि प्रतिपूर्ति हेतु कुल 3,13,04,000/–(तीन करोड़ तेरह लाख चार हजार) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मौजा–लौरिया, थाना नं०–432, खाता नं०–08, खेसरा सं०–634, रकवा– 1. 00 (एकड़) परती भूमि पर्यटक केन्द्र, लौरिया की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–दिलावरपुर, थाना सं०–46, खाता सं०–470, खेसरा सं०–2019 रकबा–0.41 एकड़ एवं 2025 रकबा–0.8775 एकड़ अर्थात कुल रकबा–01.2875 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को इस शर्त्त पर निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार/अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

9. बुद्ध स्मृति पार्क में बुद्ध के जीवन–वृत्त एवं उनके सिद्धान्तों से संबंधित संग्रहालय के निर्माण हेतु परामर्शी की नियुक्ति मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

10. विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत एवं अनुबंध पर पूर्व नियोजित कर्मियों को छोड़कर शेष मूल कोटि से वरीय शिक्षकों के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध के। — स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों 531 (332 + 199) में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 40,00,00,000/–(चालीस करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि से समय–समय पर उचित दावों के भुगतान पर स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

12. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत नक्सल प्रभावित जिलों में 85 थाना भवनों के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 80:20 के अनुपात में ` 2 करोड़ (दो करोड़ रू०) प्रति थाना की दर से {केन्द्रांश ` 136.00 करोड़ (एक सौ छत्तीस करोड़ रू०) तथा राज्यांश ` 34.00 करोड़ (चौतीस करोड़ रू०)} कुल ` 170.00 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

13. वित्तीय वर्ष 2011–12 में चौकीदार/दफादार स्थापना के अंतर्गत वेतनादि के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ` 39,27,20,000 (उनचालीस करोड़ सत्ताईस लाख बीस हजार रू०) मात्र अग्रिम की स्वीकृति। — स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

(नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय)

14.	नागरिक सुरक्षा के सम्बर्द्धन (Revamping) के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि को आबंटित किये जाने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

15.	अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहायक अनुदान स्वरूप रू० 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति देने के संबंध में।	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

16.	पटना में प्रस्तावित बिहार संग्रहालय (Bihar Museum) के लिए वास्तुविद् परामर्शी का चयन।	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

17.	लघु खनिज के स्वामिस्व एवं नियत लगान के पुनरीक्षण हेतु बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 में संशोधन।	स्वीकृत।